UPGK010019682026

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–883/2026

आदित्य राव पुत्र सत्येन्द्र प्रताप राव उम्र 19 वर्ष निवासी–गढ़रामपुर, थाना–तरकुलवा, जनपद–देवरिया।

.............**आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ....**विपक्षी**

मु०अ०सं०–52/2026
अन्तर्गत धारा–74, 78, 296 (ए), 352, 351(3), 3(5), 75, 196, 308
बी०एन०एस० व 3 (1) द, ध, 3(2)(va), 3(2)v एस०सी०/एस०टी० एक्ट
थाना–एम्स, जनपद–गोरखपुर।

दिनांक 20–03–2026

आवेदक/अभियुक्त **आदित्य राव** की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न शपथपत्र संदीप सिंह द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय में न तो लंबित है, न दाखिल है और न ही निस्तारित है।

अधिनियम की धारा–15(ए)(5) एस0सी0/एस0टी0एक्ट के अनुपालन में वादी मुकदमा/पीड़ित पक्ष पर नोटिस का तामीला प्राप्त है, वादिनी मुकदमा पूर्व तिथि पर व्यक्तिगत रुप से उपस्थित थी।

अभियोजन कथानक सक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थिनी मालो शीतिरी पुत्री रामोनगो लोथा निवासी नागालैण्ड की रहने वाली हूँ। वर्तमान समय में एम्स हॉस्पिटल, गोरखपुर में जूनियर रेसिडेण्ट प्रसूती विभाग में डाक्टर के पद पर नियुक्त हूँ। आज दिनांक 22/2/2026 को मैं अपने मित्र वरूँ के साथ ओरियोन मॉल गयी थी। जहाँ पर तीन लड़कों द्वारा मेरे ऊपर गन्दे कमेन्ट किया गया जब हम लोग वापस एम्स हॉस्पिटल आ रहे थे तो एम्स गेट नम्बर 2 के पास उन्हीं तीन लड़को द्वारा पीछे से मेरे शरीर पर हाथ से मारा गया। जब हम लोगों ने विरोध किया तो हम लोग को गाली गुप्त देते हुए अपना कपड़े निकाल कर दिखाते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है, प्रार्थी ने कोई जुर्म/अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी ने न ही किसी के साथ छेड़खानी की है, न ही इस नियत से किसी का पीछा किया है तथा न ही किसी को जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सार्वजनिक स्थल पर अपमानित ही किया है। प्रार्थी ने न तो किसी को जान से मारने की धमकी दिया है, न ही किसी को कोई गलत इशारा ही किया है और न ही किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भद्दा कमेन्ट ही किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से दर्ज करवाया गया है, प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलम्ब का कोई कारण वर्णित नहीं है। प्रार्थी के विरोधियों ने पुलिस को मिलाकर फर्जी ढंग से प्रार्थी को अभियुक्त बना दिया है। कथित घटना स्थल काफी भीड़–भाड़ वाला स्थान है ऐसे भीड़–भाड़ वाले स्थान पर किसी के साथ छेड़छाड़ करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। कथित घटना के चश्मदीद साक्षी का न होना अभियोजन कथन को स्वयं ही संदेहास्पद बना देता है। प्रार्थी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। स्थापित विधि सिद्धान्त के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का पूर्व से उसकी जाति को जानकर उसका उत्पीड़न किया जाएगा तो ही उसके ऊपर एस०सी०/एस०टी० का अपराध गठित होगा। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के ऊपर एस०सी०/एस०टी० एक्ट के अपराध का गठन नहीं होता है। प्रश्नगत प्रकरण में कथित पीड़िता व प्रार्थी पूर्व के परिचित नहीं थे इस कारण प्रार्थी का पीड़िता की जाति जानने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि सिद्धान्त के अनुसार 7 वर्ष से कम की सजाओं के अपराध में बिना किसी ठोस कारण के गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। जेल एक अपवाद है तथा जमानत एक अधिकार है। जिस गाड़ी से पीड़िता का पीछा करना कहा जाता है वह गाड़ी भी प्रार्थी की नहीं है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी दिनांक–25/02/2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी का उपरोक्त मुकदमे से कोई संबंध नहीं है। प्रार्थी अपनी जमानत देने को तैयार है। उक्त समस्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है, आवेदक/अभियुक्त को यदि जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत का दुरूपयोग करेगा। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

जमानत प्रार्थना पत्र के साथ सम्बन्धित थाना पुलिस द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध मुख्य रूप से सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा जो नागालैण्ड राज्य की निवासी है, को गन्दे कमेन्ट करना, वादिनी के शरीर पर हाथ से मारना तथा गाली गुप्ता देते हुए कपड़े निकाल कर दिखाते हुए जान से मारने की धमकी देने का अभियोग लगाया गया है। प्रस्तुत मामले में पुलिस द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है, जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 25–02–

2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध जिन धाराओं मे अभियोग प्रस्तुत किया गया है, उनमे अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सत्येन्द्र कुमार अंतिल प्रति केन्द्रीय ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन व अन्य** (2021) 10 **एस.सी.सी.** 773 तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **Application u/s** 528 **BNSS No.** 6400 **of** 2025 **Smt. Bacchi Devi vs. State of U.P. and other [Netural Citation No.** 2025: **AHC**:136034] में दिये गये दिशा निर्देशों के आधार पर तथा उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **आदित्य राव** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र (**संख्या–883/2026**) स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु0 50,000/– रूपये का निजी बंधपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभूं तथा इस आशय का अंडरटेकिंग कि वह भविष्य में प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या जरिये अधिवक्ता उपस्थित होता रहेगा, विचारण में सहयोग करेगा एवं गवाह के आने पर कोई स्थगन नहीं लेगा, दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(प्रवीण कुमार सिंह–द्वितीय)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर
I.D. No.–UP6051

Digitally signed by PRAVEEN KUMAR SINGH
Date: 2026.03.20 17:41:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court